

भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1740
दिनांक 01.08.2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

पीने योग्य पानी की कमी

1740. श्री अभय कुमार सिन्हा:

क्या जल शक्ति मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या बिहार के औरंगाबाद और गया जिले में पीने योग्य पानी की गंभीर कमी बनी हुई है और भूजल स्तर 200 से 300 फीट से नीचे चला गया है;
- (ख) यदि हां, तो भूजल स्तर में और गिरावट को रोकने और पीने योग्य पानी की उपलब्धता की व्यवस्था करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है;
- (ग) क्या सरकार उपरोक्त जिलों में गहरे बोरवेल खोदने का विचार रखती है;
- (घ) यदि हां, तो बोरवेल कब तक लगाए जाएंगे और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;
- (ङ) क्या सरकार इस संबंध में औरंगाबाद और गया जिलों में एक केंद्रीय मूल्यांकन टीम भेजने का विचार रखती है; और
- (च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (च) भारत सरकार देश के सभी ग्रामीण परिवारों हेतु निर्धारित गुणवत्ता के साथ पर्याप्त मात्रा में तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर सुरक्षित और पीने योग्य नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने हेतु प्रतिबद्ध है। इस उद्देश्य के लिए, भारत सरकार ने अगस्त 2019 में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की भागीदारी से कार्यान्वित किए जाने वाले जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की थी। पेयजल राज्य का विषय है और इसलिए पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, अनुमोदन, कार्यान्वयन, संचालन और रख-रखाव की जिम्मेदारी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की है। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करती है।

देश में जल जीवन मिशन के शुभारंभ के बाद से ग्रामीण परिवारों के लिए नल जल की सुविधा का विस्तार करने की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। जल जीवन मिशन की शुरुआत के समय, 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। तब से 11.80 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, दिनांक 30.07.2024 की स्थिति के अनुसार, देश के 19.32 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.03 करोड़ (77.81%) परिवारों के लिए नल जल आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। इसी तरह, बिहार में 3.16 लाख ग्रामीण परिवारों में नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। जल जीवन मिशन की घोषणा के बाद से, 1.57 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 30.07.2024 तक, राज्य में 1.60 करोड़ (96.08%) परिवारों में नल जल आपूर्ति का प्रावधान किया गया है। बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों में, 3.81 लाख (97.75%) और 5.77 लाख (99.29%) ग्रामीण परिवारों को नल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। गांवों में जल आपूर्ति प्रणाली की दीर्घकालिक स्थिरता प्रदान करने के लिए विश्वसनीय पेयजल स्रोतों का विकास और/या मौजूदा स्रोतों का संवर्धन, जल जीवन मिशन का एक अभिन्न अंग है। ग्राम समुदाय द्वारा ग्राम कार्य योजना (वीएपी) तैयार करने के लिए प्रावधान किया गया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मनरेगा, ग्रामीण स्थानीय निकायों/पंचायती राज संस्थाओं को वित्त आयोग अनुदान, सांसद और विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास निधि, जिला खनिज विकास निधि, सीएसआर निधि आदि जैसी अन्य स्कीमों के साथ अभिसरण करके पेयजल स्रोतों का सुदृढीकरण शामिल है।

बिहार राज्य में भूजल संसाधनों का आकलन केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) और राज्य नोडल/भूजल विभाग द्वारा संयुक्त रूप से किया जाता है। औरंगाबाद और गया जिलों का भूजल संसाधन आकलन वर्ष 2022 और वर्ष 2023 में किया गया है और निष्कर्ष नीचे दिए गए हैं:

जिला	आकलन वर्ष	कुल वार्षिक भूजल (हेक्टेयर मीटर/एचएएम) पुनर्भरण	वार्षिक निकासी योग्य भूजल संसाधन (एचएएम)	कुल निकासी (एचएएम)	भूजल निकासी का चरण (%)	वर्गीकरण
औरंगाबाद	2022	127742.95	116611.55	28611.84	24.54	सुरक्षित
	2023	136333.38	122821.2	30864.03	25.13	सुरक्षित
गया	2022	132061.37	119291.66	49295.82	41.32	सुरक्षित

	2023	124358.54	112408.56	54043.27	48.08	सुरक्षित
--	------	-----------	-----------	----------	-------	----------

यह इंगित करता है कि वर्ष 2022 और 2023 में, दोनों जिलों के लिए निकासी का चरण या तो पुनर्भरण में कमी या खिंचाव (ड्राफ्ट) में वृद्धि के कारण बढ़ा है। वर्ष 2022 और 2023 दोनों में, औरंगाबाद और गया को सुरक्षित के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

सीजीडब्ल्यूबी अपने निगरानी कुओं के नेटवर्क के माध्यम से प्रत्येक वर्ष देश भर में क्षेत्रीय स्तर पर मार्च/अप्रैल/मई, अगस्त, नवम्बर और जनवरी माह के दौरान बिहार के औरंगाबाद और गया जिलों सहित चार बार भूजल स्तर की निगरानी करता है। मई 2024 के दौरान, औरंगाबाद और गया जिलों में जल स्तर क्रमशः 0-20 एमबीजीएल और 2-10 एमबीजीएल के बीच रहा है।

भूजल स्तर में दीर्घकालिक घट-बढ़ का आकलन करने के लिए, मई 2024 के दौरान सीजीडब्ल्यूबी द्वारा एकत्र किए गए जल स्तर के आंकड़ों की तुलना मई (2014-2023) के औसत से की गई है। जल स्तर संबंधी आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि निगरानी किए गए लगभग 50% कुओं में भूजल स्तर में वृद्धि दर्ज की गई है, जो अधिकांशतः 0.0-2.0 मीटर के बीच है। इसके अलावा, 50% विश्लेषित कुओं में भूजल स्तर में गिरावट भी देखी गई है जो अधिकांशतः 0.0-2.0 मीटर के बीच है। इन जिलों के संबंध में औसत (मानसून पूर्व 2014 से 2023) और मानसून पूर्व 2024 के साथ जल स्तर में जिले-वार दशकीय उतार-चढ़ाव **अनुबंध** में दिया गया है।

जल राज्य का विषय होने के कारण जल संसाधनों के इसके संरक्षण से संबंधित पहलुओं का अध्ययन, आयोजना, वित्तपोषण और कार्य निष्पादन राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है। भारत सरकार, जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा कार्यान्वित की जा रही स्कीमों के माध्यम से तकनीकी सहायता और कुछ मामलों में वित्तीय सहायता उपलब्ध कराती है। तथापि, भूजल स्तर में गिरावट को रोकने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं -

(i) केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) ने बिहार के औरंगाबाद और गया के पूरे मैप करने योग्य क्षेत्र सहित लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर के योग्य क्षेत्र में राष्ट्रीय जलभृत मानचित्रण (एनएक्यूयूआईएम) परियोजना पूरी कर ली है। जलभृत मानचित्रण और प्रबंधन योजनाएं तैयार कर ली गई हैं और प्रबंधन योजनाओं में पुनर्भरण संरचनाओं के माध्यम से विभिन्न जल संरक्षण उपाय शामिल हैं। एनएक्यूयूआईएम के अनुभव के आधार पर, सीजीडब्ल्यूबी ने औरंगाबाद जिले के मदनपुर और रफीगंज ब्लॉकों और गया जिले के मोहनपुर और फतेहपुर ब्लॉकों में एनएक्यूयूआईएम 2.0 गतिविधियों की शुरुआत की है।

(ii) सीजीडब्ल्यूबी ने राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के परामर्श से भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान-2020 तैयार किया है जो अनुमानित लागत सहित देश की विभिन्न भू-भाग स्थितियों के लिए विभिन्न संरचनाओं को इंगित करते हुए एक वृहत स्तरीय योजना है। मास्टर प्लान में बिहार के औरंगाबाद जिले में लगभग 3.5 हजार और गया जिले में 13 हजार संरचनाओं के निर्माण की परिकल्पना है। भूजल के कृत्रिम पुनर्भरण के लिए मास्टर प्लान - 2020 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को परिचालित किया गया है। कार्यान्वयन राज्य सरकार को करना है।

(iii) मंत्रालय ने सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भूजल के विनियमन और विकास के लिए उपयुक्त कानून बनाने में सक्षम बनाने के लिए एक माडल बिल परिचालित किया है। अब तक बिहार राज्य सहित 21 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों ने इस विधान को अपनाया और कार्यान्वित किया है। माडल विधेयक में यह परिकल्पना की गई है कि शहरी क्षेत्रों में भवनों की छतों और अन्य खुले क्षेत्रों से उपलब्ध वर्षा जल का भू-जल पुनर्भरण के लिए लाभप्रद रूप से उपयोग किया जा सकता है। शहरी क्षेत्रों में व्यवहार्य वर्षा जल संचयन संरचनाओं में पुनर्भरण गड्ढे, खाई, मौजूदा नलकूप अथवा खुले कुएं आदि शामिल हैं।

(iv) जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग द्वारा राष्ट्रीय जल नीति (2012) तैयार की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण का समर्थन किया गया है तथा वर्षा के प्रत्यक्ष उपयोग के माध्यम से जल की उपलब्धता बढ़ाने की आवश्यकता पर भी प्रकाश डाला गया है। इसमें अन्य बातों के साथ-साथ इस बात का भी समर्थन किया गया है कि नदी, नदी निकायों और अवसंरचना का संरक्षण सामुदायिक भागीदारी के माध्यम से वैज्ञानिक रूप से योजनाबद्ध तरीके से किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, जल निकायों और जल निकासी चैनलों के अतिक्रमण और दिशा परिवर्तन की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए और जहां कहीं भी यह हुआ है, वहां इसे व्यवहार्य सीमा तक बहाल किया जाना चाहिए और उचित रूप से बनाए रखा जाना चाहिए।

(v) आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने मॉडल भवन उपनियम, 2016 जारी किया है जो 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक आकार वाले सभी प्रकार के भवनों के लिए वर्षा जल संचयन की सिफारिश करता है। अब तक, बिहार राज्य सहित 35 राज्यों ने अपने-अपने भवन उपनियमों में प्रावधानों को शामिल किया है।

वर्तमान में, सीजीडब्ल्यूबी का इन दो जिलों में गहरे बोरवेल खोदने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

तथापि, सीजीडब्ल्यूबी, टेलीमेट्री के साथ डीडब्ल्यूएलआर संस्थापित करके जल स्तर की निगरानी के लिए 100 मीटर गहराई वाले पीजोमीटर, औरंगाबाद में 03 और गया जिले में 05 पीजोमीटर का निर्माण करने जा रहा है।

औरंगाबाद और गया जिलों में भूजल स्तर में और गिरावट को रोकने के लिए केन्द्रीय आकलन दल भेजने का कोई भी प्रस्ताव जल शक्ति मंत्रालय के विचाराधीन नहीं है।

औसत (पूर्व-मानसून 2014 से 2023) और मानसून पूर्व 2024 के साथ जल स्तर में दशकीय घट-बढ़

जिले का नाम	विश्लेषण किए गए कुओं की संख्या	विभिन्न गहराई सीमा में कुओं की संख्या												कुल संख्या कुओं की संख्या			
		बढ़त						गिरावट						बढ़त		गिरावट	
		0 से 2	%	2 to 4	%	> 4	%	0 से 2	%	2 to 4	%	> 4	%	बढ़त (संख्या)	बढ़त (%)	गिरावट (संख्या)	गिरावट (%)
औरंगाबाद	10	4	40.0	2	20.0	0	0.0	3	30.0	1	10.0	0	0.0	6	60.0	4	40.0
गया	6	2	33.3	0	0.0	0	0.0	3	50.0	1	16.7	0	0.0	2	33.3	4	66.7
कुल	16	6	37.5	2	12.5	0	0.0	6	37.5	2	12.5	0	0.0	8	50.0	8	50.0